जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांक प.(375)VI/जरारासंविवि/संस्था/विद्या सम्बल योजना/23/3770 दिनांकः– 04/9/2023

विस्तृत विज्ञप्ति

राजस्थान सरकार, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं सहायक शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार पत्रांक पं.18(8)संस्कृत शिक्षा/2020–00286 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा गैस्ट फैकल्टी की सेवायें लेने हेतु प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिये विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पात्र सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थियों की सेवायें लेने हेतु गैस्ट फैकल्टी के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है।

योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी के पद/योग्यता/शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) गैस्ट फैकल्टी के पद एवं रिक्तियाँ :–

विश्वविद्यालय में वर्तमान में विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के कुल 07 पद रिक्त है, जिनमें गैस्ट फैकल्टी के तहत आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने है। रिक्त सहायक आचार्य के रिक्त पदों में एक पद व्याकरण विषय का , एक पद शिक्षा विषय का , एक पद हिन्दी विषय का , एक पद अंग्रेजी विषय का, एक पद इतिहास विषय का, एक पद राजनीति विज्ञान विषय का एवं एक पद कम्प्यूटर विज्ञान विषय का रिक्त हैं। सहायक आचार्य हेतु योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस हेतु वर्णित प्रावधानों एवं मानदण्डों के अनुसार होगी। अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय में आचार्य/एम.ए. एवं अन्य निर्धारित योग्यताऐं यू.जी. सी. के मानदण्डानुसार होना आवश्यक है। गैस्ट फैकल्टी के रूप में सेवायें विश्वविद्यालय में स्वीकृत एवं स्पष्ट रिक्त पद पर ही आवश्यकता के आंकलन के उपरान्त ही ली जायेगी।

नोट–

1. गैस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी। (यूजीसी के मापदण्डानुसार)
2. विद्या संबल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाये जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन कर दिया गया है, उन्हें भी नये सिरे से आवेदन करना होगा।

(2) आवेदन प्रक्रिया :–

किसी भी पद हेतु सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर डाक द्वारा अथवा विश्वविद्यालय समय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अंतिम तिथि तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141–2850551–75

(3) वरीयता का निर्धारण :–

1. आवेदन पत्रों की जांच विश्वविद्यालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित पात्रता एवं संसूचित दिशा–निर्देशों/शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर की जाकर परीक्षणोपरान्त पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा। तैयार किये गये पैनल का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनुमोदन के पश्चात् गैस्ट फैकल्टी के पैनल से वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जा सकेगा।
2. योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार किया जायेगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध पात्र अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जायेगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से उपर रखा जायेगा। गैस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(4) परिवेदना प्रस्तुत करना :–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय में निदेशक शैक्षणिक परिसर कार्यालय में तीन दिवस में प्रस्तुत करनी होगी जिनके यथाशीघ्र निस्तारण करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

(5) मानदेय :–

विद्या संबल योजना के तहत लागए जाने वाले गैस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा (60 मिनिट) मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्रं.सं.	पद	प्रति घंटा (60 मिनिट) मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	सहायक आचार्य	800 रूपये (आठ सौ रूपये मात्र)	45000 रूपये (पैतालीस हजार रूपये मात्र)

(6) अन्य शर्ते :–

1. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किये जाने पर तीन दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी। निदेशक शैक्षणिक परिसर द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।
2. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
3. गैस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षा सत्र 2023–24 अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
4. गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जावेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
5. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन निदेशक शैक्षणिक परिसर द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप से विमुक्त किया जा सकेगा।

6. विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी के रिक्त पदों पर मानदण्डानुसार न्यूनतम छात्र संख्या होने पर ही गैस्ट फैकल्टी से अध्यापन करवाया जाना है।

आशार्थी अद्यतन सूचना/जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नही की जायेगी।

संलग्न :–

गैस्ट फैकल्टी हेतु–

1. आवदेन पत्र
2. शपथ पत्र का प्रारूप
3. वरीयता के मानदण्ड
4. वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30.03.2021

कुलसचिव

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

■ वेबसाईट : *www.jrrsanskrituniversity.ac.in* ■ ई–मेल - *jrrsu@yahoo.com* ■ टेलीफैक्सः 0141-2850551–75

विद्या सम्बल योजना (गेस्ट फेकल्टी)सत्र 2023–2024

सहायक आचार्य पद हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो लगाएं।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. आवेदित विषय/विभाग ....
5. श्रेणी/वर्ग ....

   (आरक्षित वर्ग होने पर सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. अन्य ....

   (आरक्षित वर्ग होने पर सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. मूल निवास प्रमाण पत्र ....(संलग्न करें)
8. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त) ....(संलग्न करें)
9. निवास का पता

   (1) स्थाई पता – ....

   ....

   (2) वर्तमान पता ....

   ....

   (3) मोबाईल नं..............................ई–मेल..........................

10. शैक्षणिक योग्यताएं :–

क्र. सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड/परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांकों का प्रतिशत/ग्रेड	उत्तीर्ण श्रेणी/ग्रेड	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	स्नातक					
2	अधिस्नातक/परास्नातक					
3	एम.फिल.					

4	पीएच.डी. / विद्यावारिधि					
5	जेआरएफ / नेट / स्लेट / सेट					
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 02 अंक					
7	शिक्षण / पोस्ट डाक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक)					
8	अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों / भारत सरकार / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)					
9	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)					

11. आवेदक सेवानिवृत्त शिक्षक श्रेणी में है तो पी.पी.ओ. की प्रति अवश्य संलग्न करें।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उक्तानुसार समस्त सूचनाएँ / तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं। इसमें यदि कोई असत्य कथन / सूचना पाई जावे तो मुझे किसी भी समय गेस्ट फेकल्टी की सेवा से पृथक किया जा सकता है।

संलग्नकों की सूची मय विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

......

Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141-2850551–75

68

शपथ–पथ

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी.. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.............................. .... विभाग...(संस्थान का नाम) में दिनांक............................... को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/ दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने .... विभाग / संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 27.07.2023 के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021 को अच्छे से पढ़ / समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित / फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जायगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा / करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा / करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं / करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा / करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा / करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार / विभाग / संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों / निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा / करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं ....पुत्र / पुत्री श्री .... शपथपूर्वक बयान करता हूं / करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य / सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना / तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141-2850551–75

विद्या संबंल योजनांतर्गत गैस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21	60 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम =19	55 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक =16	45 प्रतिशत एवं अधिक परन्तु 55 प्रतिशत से कम =10
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	60 प्रतिशत एवं उससे अधिक और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) एवं उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम=20	
3	एम.फिल.	60 प्रतिशत और उससे अधिक =07	55 प्रतिशत एवं उससे अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम =05		
4	पीएच.डी.	25			
5	जेआरएफ/नेट/स्लेट/सेट	10			
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 02 अंक	06			
7	शिक्षण/पोस्ट डाक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक)	10			
8	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)	03			
9	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)	02			

70

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30.0

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार--संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड--III	1 से 8	300/--	21000/--
ग्रेड--II	9 से 10	350/--	25000/--
ग्रेड--I	11 से 12	400/--	30000/--
अनुदेशक	--	300/--	21000/--
प्रयोगशाला सहायक	--	300/--	21000/--

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/--	45000/--
सह आचार्य	1000/--	52000/--
आचार्य	1200/--	60000/--

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ--पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव